छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1445/2006

अपीलार्थी - **श्रीमति दशोदा बाई**

बनाम

उत्तरवादीगण **शैल कुमारी एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय हेतु दिनांक 26/3/2007 को नियत

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1445 वर्ष 2006

याचिकाकर्ता :- **श्रीमति दशोदा बाई पति श्री बलदाऊ प्रजापति, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम छटान, तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।**

बनाम

उत्तरवादीगण :-

1- शैल कुमार, पति श्री पवन कुमार यादव, वयस्क

2- किरण बाई, पति श्री भीष्म कुमार सोनकर, वयस्क

3- गोदावरी बाई, पति श्री दूजराम साहू, वयस्क

4- डेहरिन बाई, पति श्री चैतराम सप्रे, वयस्क

5- पार्वती बाई, पति श्री होलीराम साहू, वयस्क

6- लीला बाई, पति श्री फेरूराम साहू, वयस्क

7- साधना बाई, पति श्री बलराम सोनकर

— सभी निवासी ग्राम छटान , तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

8- रिटर्निंग अधिकारी (श्री एल.एस. ध्रुव) बूथ क्रमांक 129, ग्राम पंचायत छटान, वर्तमान में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोरमी, तहसील एवं जिला बिलासपुर

9- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली, जिला बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री बी. पी. शर्मा , याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री संजय के . अग्रवाल एवं श्री आज़ाद सिद्दीकी, उत्तरदाता क्रमांक 1 के अधिवक्ता

श्री एम. के. भादुड़ी एवं श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान, उत्तरदाता क्रमांक 2 एवं 6 के अधिवक्ता

श्री वी. के . श्रीवास्तव, उत्तरदाता क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 के अधिवक्ता

श्री एम. के. बेग, उत्तरदाता क्रमांक 8 के अधिवक्ता

श्री अरुण साव, राज्य के शासकीय अधिवक्ता /उत्तरदाता क्रमांक 9 के लिए।

निर्णय

(26-03-2007)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुनील कुमार सिन्हा] न्यायमूर्ति

(1) प्रारंभ में, यह याचिका आदेश दिनांक 10-03-2006 (अनुलग्नक पी-1) को निरस्त करने हेतु दायर की गई थी, जो कि विनिर्दिष्ट अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी), मुंगेली द्वारा निर्वाचन याचिका क्रमांक 62-A/89(21)/04-05 में पारित किया गया था, जिसके माध्यम से उक्त प्राधिकारी ने उत्तरदाता क्रमांक 1 (जो पराजित प्रत्याशियों में से एक है) द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका को स्वीकार करते हुए, ग्राम पंचायत छठान, विकासखंड एवं तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के सरपंच पद के निर्वाचन से संबंधित मतदान केंद्र क्रमांक 129 में डाले गए मतों की पुनर्गणना के आदेश पारित किए। बाद में, जब उक्त आदेश के पालन में पुनर्गणना भी संपन्न कर ली गई तथा दिनांक 20-03-2006 के आदेश)अनुलग्नक पी--7/आर-1(2)) द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 1 को, याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक मत प्राप्त होने के कारण, याचिकाकर्ता के स्थान पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया, तब उक्त आदेश को भी संशोधन के माध्यम से रिट याचिका में चुनौती दी गई।

(2) संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता तथा उत्तरदातागण क्रमांक 1 से 7, उपर्युक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार थे। उक्त निर्वाचन में मतदान दिनांक 20-01-2005 को संपन्न हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता को एक मत के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। उपरोक्त घोषणा के पश्चात, उत्तरदाता क्रमांक 1 द्वारा मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के अंतर्गत एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें मतों की पुनर्गणना की प्रार्थना की गई। उक्त याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निवेदन किया गया कि मतगणना स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी तथा सुरक्षा बलों की भी समुचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण थी। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार बिना मतपत्रों की विधिवत जांच-पड़ताल किए ही मतगणना संपन्न कर दी गई, और यहां तक कि उत्तरदाता क्रमांक 1 के पक्ष में डाले गए वैध मतपत्रों को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। उत्तरदाता क्रमांक 1 द्वारा आगे यह भी अभिवाक किया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अमान्य घोषित किए गए अधिकांश मत, उनके पक्ष में डाले गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने मतों की पुनर्गणना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तब पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया गया तथा उन्हें यह सलाह दी गई कि वे पुनर्गणना हेतु तहसीलदार, मुंगेली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। इसके पश्चात, अगले दिन अर्थात् दिनांक 21-01-2005 को पुनर्गणना हेतु एक आवेदन सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु उन्हें यह बताया गया कि पुनर्गणना केवल मतगणना स्थल पर ही की जा सकती है, और उनके उक्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समग्र अभिवाक के माध्यम से, निर्वाचन याचिकाकर्ता ने यह विश्वास व्यक्त किया कि यदि मतों की पुनर्गणना कराई जाती है, तो वह निश्चित रूप से निर्वाचन में विजयी होंगी। उक्त निर्वाचन याचिका के प्रत्युत्तर में, उत्तरदाता क्रमांक 1 द्वारा एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपर्युक्त सभी कथनों का खंडन किया गया। उन्होंने विशेष रूप से यह कथन किया कि निर्वाचन याचिका में उल्लिखित तथ्य असत्य हैं तथा यह निर्वाचन याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

(3) साक्ष्य के दौरान, निर्वाचन याचिकाकर्ता ने स्वयं अ.सा.1 के रूप में तथा एक अन्य गवाह मोती राम यादव (अ.सा..2) को परीक्षित कराया है, जबकि उत्तरदाता ने दो गवाहों अर्थात् सोभराम साहू (ब.सा..1), राजू पिता गणेश (ब.सा..2) एवं कोमल प्रसाद साहू (ब.सा..3) को परीक्षित कराया है। निर्वाचन अधिकारी को भी परीक्षित कराया है सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत, निर्वाचन याचिका स्वीकार कर ली गई और अंततः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 10-03-2006 को पारित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) पुर्नमतगणना हेतु पारित किया गया, जो कि इस याचिका में चुनौती के अधीन है। न्यायाधिकरण द्वारा याचिका मुख्यतः उस प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकार की गई, जो दिनांक 14-03-2005 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि मतगणना स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी तथा मतदान केंद्र पर स्थिति तनावपूर्ण थी, जिसके कारण मतपत्रों की समुचित जांच नहीं हो सकी थी और यह भी कि मतों का अंतर केवल एक था।

(4) याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रस्तुत हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुनर्मतगणना का आदेश बिना किसी उचित आधार के पारित किया गया और यह कि इसे विश्वसनीय और ठोस मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सिद्ध भी नहीं किया गया। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट स्वयं दर्शाती है कि उसके द्वारा पुनर्मतगणना की गई थी, हालांकि बिना उत्तरवादीगण की ओर से कोई आवेदन लिए, बगैर परिणाम घोषित कर दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि पीठासीन अधिकारी का आचरण, उत्तरदाता संख्या 1 के पक्ष में ऐसी रिपोर्ट दाखिल करके, संलिप्तता की ओर संकेत करता है। अतः ऐसी रिपोर्ट पर आधारित आदेश अभिखंडित (रद्द) किया जाना चाहिए। उनका समग्र तर्क यह था कि मत गोपनीयता एक पवित्र सिद्धांत है, जिसे बिना किसी उचित कारण के हल्के में या जल्दबाज़ी में नहीं तोड़ा जा सकता। पुनर्मतगणना का आदेश तभी दिया जा सकता है जब इसकी आवश्यकता को विधिक रूप से प्रतिपादित किया गया हो। वर्तमान मामले में, सतही याचिका और साक्ष्यों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने पुनर्मतगणना का आदेश दे दिया, जबकि यह तक नहीं देखा गया कि चुनाव याचिकाकर्ता यह स्थापित कर पाई थीं कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुनर्मतगणना के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 1 विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाता संख्या 1 ने पुनर्गणना के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया था तथा इस संबंध में एक आवेदन भी पीठासीन अधिकारी को दिया गया था, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंततः जब उक्त आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया, तो उन्होंने भी यह कहकर कोई कार्यवाही करने से इनकार कर दिया कि पुनर्गणना का आवेदन केवल मतगणना स्थल पर ही स्वीकार्य है और इस कार्यालय में इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। उनका तर्क था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में स्थापित विधि के अनुसार, अब यह विधिक आवश्यकता नहीं रह गई है कि पुनर्गणना के लिए सबसे पहले मतगणना के समय पीठासीन

अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाए। जब निर्वाचन याचिका में पुनर्गणना हेतु उचित आधार प्रस्तुत कर दिया गया हो और उसे साक्ष्यों द्वारा सिद्ध कर दिया गया हो, तब इस प्रकार के तुच्छ आधार याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं रहते, और याचिका को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

(6) जहाँ तक म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियमों (जिसे आगे "नियम" कहा गया है) के नियम 80 के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पुनर्गणना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता का संबंध है, इस संबंध में पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***श्रीमती रामरती बनाम सरोज देवी*, AIआर 1997 S.C. 3072** के प्रकरण में यह निर्णय दिया था कि जब तक कोई पक्षकार पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतों की पुनर्गणना हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, तब तक न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय को पुनर्गणना का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यह माना गया कि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष लिखित में पुनर्गणना का आवेदन प्रस्तुत किया जाना, ऐसे आधार पर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। तत्पश्चात, ***सोहनलाल बनाम बाबू गांधी एवं अन्य*, AIआर 2003 SC 320** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग समान बिंदुओं पर विचार करते हुए *श्रीमती रामरती* (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय पर विचार करते हुए तथा यह निर्णय दिया कि उक्त प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत शुद्ध रूप से सही नहीं है। धारा 43, 195 एवं 122 तथा उपर्युक्त नियमों के नियम 80 के प्रावधानों का परीक्षण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में यह निर्णय दिया कि नियम 80 के उप-नियम (5) के अंतर्गत, एक बार परिणाम-पत्रक पूर्ण रूप से तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के उपरांत, पुनर्गणना हेतु कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 81 में यह प्रावधान है कि मतों की पुनर्गणना के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी को एक विवरणी तैयार करना होगा एवं सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करना होगा। नियम 83 के अंतर्गत, निर्वाचित घोषित किए गए प्रत्याशी को एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना अपेक्षित है। नियम 84 के अंतर्गत, एक बार प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिए जाने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी केवल लिपिकीय या गणनात्मक त्रुटियों का ही संशोधन कर सकते हैं। अत:, परिणामों की घोषणा के उपरांत, रिटर्निंग अधिकारी के पास न तो पुनर्गणना करने का अधिकार है और न ही निर्वाचन परिणामों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की शक्ति। एक बार निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात, किसी भी पीड़ित पक्ष के लिए एकमात्र उपाय अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत निर्वाचन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिका दायर करना है। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह कहना विधिसंगत नहीं है कि निर्वाचन याचिका में, परिणाम की घोषणा के पश्चात, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण मतों की पुनर्गणना का निर्देश तभी दे सकता है जब संबंधित पक्ष ने पूर्व में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पुनर्गणना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो। न तो अधिनियम में और न ही नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई निषेध है जो न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को मतों की पुनर्गणना का निर्देश देने से रोकता हो। वैसे भी, यह संभव है कि किसी पक्षकार को परिणाम घोषित होने तक यह ज्ञात न हो कि पुनर्गणना की आवश्यकता है। इस स्तर पर उसके लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पुनर्गणना हेतु आवेदन करना संभव नहीं होता। उसका एकमात्र उपाय धारा 122 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका दायर करना होता है। ऐसे प्रकरणों में, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण पर याचिका में उठाए गए निवेदन पर विचार करना बाध्यकारी होता है, और जब मामला साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध हो जाता है, तब न्यायालय या न्यायाधिकरण, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, पुनर्गणना का निर्देश दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अतः यह स्पष्ट है कि पुनर्गणना हेतु निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए यह कोई विधिक आवश्यकता नहीं है कि मतगणना के समय उपर्युक्त नियमों के नियम 80 के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पूर्व में पुनर्गणना का आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। ऐसी स्थिति में निर्वाचन याचिका ग्राह्य होगी, और यदि न्यायाधिकरण, प्रस्तुत निवेदन पर विचार करने के उपरांत, यह पाता है कि पुनर्गणना का मामला बनता है, तो न्यायाधिकरण द्वारा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त आदेश पारित करते हुए पुनर्गणना का निर्देश दिया जा सकता है।

(8) अब यह प्रश्न उठता है कि किन परिस्थितियों में पुनर्गणना का आदेश पारित किया जाना चाहिए और उस आदेश की वैधता की जांच कैसे की जा सकती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ***राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामील किदवई एवं अन्य,*** **AIआर 1964 S.C. 1249** में यह अभिनिर्धारित किया कि निरीक्षण का आदेश सामान्य रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। मतपत्रों की गोपनीयता पर बल दिए जाने के दृष्टिगत, न्यायालय तभी निरीक्षण का आदेश देने के लिए न्यायसंगत होगा जब दो शर्तें पूरी हों:

(i) यह कि निर्वाचन को निरस्त करने की याचिका में उन तात्विक तथ्यों का समुचित एवं पर्याप्त विवरण उपलब्ध हो, जिन पर याचिकाकर्ता अपने वाद के समर्थन में निर्भर करता है; तथा

(ii) न्यायाधिकरण प्राथमिक दृष्टिकोण से इस बात से संतुष्ट हो कि विवाद का निर्णय करने तथा पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त विधि का प्रतिपादन करते हुए सावधानी का एक सिद्धांत भी जोड़ा कि मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश केवल याचिका में किए गए अस्पष्ट आरोपों के समर्थन हेतु नहीं दिया जा सकता, विशेषतः जब वे आरोप तात्विक तथ्यों से समर्थित न हों या केवल साक्ष्य तलाशने (fish out evidence) के उद्देश्य से ऐसे आदेश की माँग की गई हो। ऐसे वाद की स्थापना हेतु, जैसा कि याचिका में प्रस्तुत किया गया है, यदि न्यायहित में आवश्यक हो तो निरीक्षण का आदेश निःसंदेह दिया जा सकता है। परंतु मात्र यह सामान्य आरोप कि याचिकाकर्ता को संदेह है या विश्वास है कि मतों को अनुचित रूप से स्वीकार, अस्वीकार या निरस्त किया गया है, निरीक्षण के आदेश के समर्थन हेतु पर्याप्त नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) *डी.पी. शर्मा बनाम आयुक्त एवं रिटर्निंग अधिकारी,* 1984 (सप्ली) एस.सी.सी. 157 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि "यह सुव्यवस्थित विधि है कि मतों की पुनर्गणना प्राप्त करने के लिए, निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा एक उपयुक्त आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से वह सामग्री दर्शाई गई हो, जिसके आधार पर यह ठोस रूप से कहा जा सके कि या तो निर्वाचित अभ्यर्थी के पक्ष में अमान्य मतों की अनुचित स्वीकृति की गई है, अथवा पराजित अभ्यर्थी के पक्ष में वैध मतों की अनुचित अस्वीकृति की गई है, या फिर ऐसे मत जो वास्तव में पराजित अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए थे, उनकी निर्वाचित अभ्यर्थी के पक्ष में गलत गणना की गई है।"

(10) *पी.के.के. शम्सुद्दीन बनाम के.ए.एम. मप्पिल्लै मोहिन्दीन एवं अन्य,* (1989) 1 SCC 526 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि "विधि का स्थिर सिद्धांत यह है कि मतपत्रों की जांच (examination) एवं मतों की पुनर्गणना के आदेश का औचित्य, पुनर्गणना के पश्चात प्राप्त परिणाम से या पश्चदृष्टि (hindsight) से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, पुनर्गणना के आदेश का औचित्य याचिका में प्रारंभिक रूप से प्रस्तुत उस सामग्री से सिद्ध होना चाहिए, जिसे निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा

आदेश पारित किए जाने से पूर्व ही न्यायालय के समक्ष रखा गया हो। इस सशक्त सिद्धांत का कारण यह है कि मत गोपनीयता का संरक्षण एक पवित्र सिद्धांत है, जिसे हल्के में या शीघ्रता से भंग नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके लिए प्राथमिक दृष्टया कोई वास्तविक आवश्यकता न हो। पराजित अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम की वैधता को चुनौती देने तथा मतों की पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार, उस मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधीन है कि मत गोपनीयता सर्वथा पवित्र है। अतः जब तक प्रभावित उम्मीदवार यह आरोप लगाने के साथ-साथ इसे स्वीकार्य साक्ष्यों द्वारा इस प्रकार स्थापित न कर दे कि न्यायहित में निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा मतों की पुनर्गणना का आदेश दिए जाने के लिए उच्च स्तर की संभाव्यता का एक प्राथमिक दृष्टया मामला विद्यमान है, तब तक कोई न्यायाधिकरण या न्यायालय मतों की पुनर्गणना का आदेश पारित नहीं कर सकता।"

(11) मामला: **<u>पी.एच. पुजार बनाम कांथि राजशेखर किडियप्पा एवं अन्य (2002) 3 एससीसी 742</u> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया कि मतों की पुनर्गणना का आदेश सामान्य या सहज रूप से नहीं दिया जा सकता। केवल पराजय का अंतर न्यून होने के आधार पर पुनर्गणना का आदेश नहीं दिया जा सकता। पुनर्गणना की मांग करने हेतु, याचिका में उपयुक्त आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें आवश्यक तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो, तथा तत्पश्चात आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर उन तथ्यों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। मतगणना की पुनर्गणना का आदेश केवल चुनाव याचिकाकर्ता के स्वतः कथन के आधार पर नहीं दिया जा सकता। पुनर्गणना का आदेश केवल उन विरल मामलों में ही दिया जा सकता है, जहाँ विशिष्ट आरोप लगाए गए हों और उन्हें सिद्ध भी किया गया हो, ताकि पक्षकारों के मध्य पूर्ण न्याय किया जा सके (देखें कंडिका 14)। यह भी निर्णीत किया गया कि पुनर्गणना की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट रूप से आरोपित करना होगा एवं साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना होगा कि या तो मतों की अनुचित स्वीकृति हुई है अथवा वैध मतों की अनुचित अस्वीकृति की गई है। केवल तभी, जब न्यायालय उक्त आरोपों की सत्यता से संतुष्ट हो, मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया जा सकता है। मतदान की गोपनीयता को लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में सदैव पवित्र माना गया है तथा केवल अवैधानिकता अथवा गणना में अनियमितता के सामान्य आरोपों के आधार पर उसे सरलता से बाधित नहीं किया जा सकता (देखें कंडिका 13)।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) महेन्द्र पाल बनाम राम दास मलंगर एवं अन्य (2002) 3 एस.सी.सी. 457 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह निर्णय दिया कि जब चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा यह कोई आधार नहीं स्थापित किया गया कि विजयी प्रत्याशी के पक्ष में मतों की अनुचित स्वीकृति हुई है अथवा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए वैध मतों की अनुचित अस्वीकृति की गई है, और न ही मतगणना के समय कोई आपत्ति उठाई गई, तब उच्च न्यायालय द्वारा मतों की पुनर्गणना से इनकार करना विधिसम्मत एवं उचित था।सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि यदि मतगणना में अनियमितताओं अथवा अवैधानिकताओं का आरोप लगाते हुए पुनर्गणना हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो यह दायित्व आवेदक पर है कि वह अपने कथनों को सुसंगत साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करे, और यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो पुनर्गणना हेतु किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(13) हाल ही में *बलदेव सिंह बनाम शिंदर पाल सिंह एवं अन्य,* (2007) 1 एस.सी.सी. 341 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया है कि मतों की पुनर्गणना का आदेश सामान्यतः नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में सीमाएं विद्यमान हैं। उक्त वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *एम. चिन्नास्वामी बनाम के.सी. पलानीस्वामी,* (2004) 6 एस.सी.सी. 341, *टी.ए. अहमद कबीर बनाम ए.ए. अजीज,* (2003) 5 एस.सी.सी. 650, *चंद्रिका प्रसाद यादव बनाम राज्य बिहार,* (2004) 6 एस.सी.सी. 331, तथा *गुरसेवक सिंह बनाम अवतार सिंह,* (2006) 4 एस.सी.सी. 542 एवं *पी.के.के. शमसुद्दीन पूर्वोक्त के मामले में दिये गये निर्णय* का संदर्भ दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) यदि हम उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में अधिकरण के आदेश की समीक्षा करें, तो यह प्रतीत होता है कि पुनर्गणना की आधारशिला रखने के उद्देश्य से चुनाव याचिकाकर्ता ने कंडिका 3 में यह उल्लेख किया है कि गणना स्थल पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं थी, स्थिति तनावपूर्ण थी तथा पीठासीन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भय के वातावरण में कार्य कर रहे थे। यह भी अभिप्रेत किया गया है कि पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था नहीं थी तथा विभिन्न स्थानों से मारपीट, बैलेट पत्रों की छीना-झपटी की घटनाओं के संदेश प्राप्त हो रहे थे। आगे कंडिका 4 में यह भी अभिप्रेत किया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी द्वारा बैलेट पत्रों की जल्दबाजी में गणना की गई तथा बैलेट पत्रों का विधिवत परीक्षण नहीं किया गया, और अधिकांश बैलेट पत्र, जिन्हें परीक्षण के दौरान निरस्त कर दिया

गया, वे चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में थे।मौखिक आपत्ति गणना अभिकर्ता द्वारा की गई थी, परंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया। उक्त आपत्तियाँ तुलसीराम साहू एवं अन्य 3-4 व्यक्तियों द्वारा भी की गईं, जिनमें विशेष रूप से गोकरण, राम खिलावन एवं रामाधार आदि के नाम उल्लिखित हैं। कंडिका 6 के अनुसार यह अभिप्रेत किया गया है कि चुनाव याचिकाकर्ता के गणना अभिकर्ता द्वारा पुनर्गणना हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया एवं उसे वापस कर दिया गया। साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि ऐसा आवेदन तहसीलदार, मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।ये ही एकमात्र आधार हैं, जिन्हें प्रत्यर्थी क्र. 1 द्वारा अपनी चुनाव याचिका में अभिप्रेत किया गया है, तथा इन्हीं आधारों पर, उपर्युक्त प्रकार से साक्ष्य ग्रहण करने के उपरांत, पुनर्गणना का आदेश पारित किया गया।

(15) उपर्युक्त आधारों को पुष्टि देने हेतु, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा केवल दो गवाहों का परीक्षण करया गया है जिनमें से अ.सा..1, अर्थात् चुनाव याचिकाकर्ता ने सामान्य बयान दिया, परंतु उसका निर्वाचन अभिकर्ता (अ.सा.2) ने विस्तृत बयान दिया, क्योंकि वह सम्पूर्ण समय उपस्थित व्यक्ति था।उसने मुख्य परीक्षण में यह कथन दिया है कि गणना कक्ष में एक बल्ब था तथा एक पेट्रोमैक्स भी था। उसने यह भी कहा है कि हॉल का आकार 50x30 फीट था तथा वहाँ कई व्यक्ति एकत्रित हुए थे। गणना समाप्ति के पश्चात पुनर्गणना हेतु अनुरोध किया गया, किंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें यह सलाह दी गई कि वे निर्वाचन अधिकारी, मुंगेली के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करें। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि तनावपूर्ण स्थिति के कारण गणना की प्रक्रिया कभी प्रभावित नहीं हुई। उसने आगे यह भी कहा है कि पेट्रोमैक्स को उस मेज़ से 2-3 फीट की दूरी पर रखा गया था, जहाँ मतगणना की प्रक्रिया चल रही थी। इन तथ्यात्मक पहलुओं का विपक्षी पक्ष द्वारा खंडन किया गया है, जिन्होंने कहा है कि गणना कक्ष में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था थी तथा वास्तव में गणना संबंधी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। राजू (ब.सा.2) द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है कि न तो मतगणना के समय गणना अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति की गई और न ही बाद में कोई लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसने यह भी कहा है कि मतगणना दो बार की गई थी। इसी प्रकार का कथन कोमल प्रसाद साहू (ब.सा.3) द्वारा भी दिया गया है, जिन्होंने कहा है कि मतगणना के समय किसी ने भी न तो लिखित और न ही मौखिक रूप से कोई आपत्ति प्रस्तुत की।

(16) इस मामले का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चुनाव याचिका के कंडिका 4 में विशेष रूप से नामित सभी स्वतंत्र गवाह, अर्थात् तुलसीराम साहू, गोकरण, राम खिलावन एवं रामाधार को चुनाव

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में परीक्षण नहीं कराया गया, तथा अधिकरण ने मुख्यतः उस पीठासीन अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया है, जिसे इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अधिकरण ने पीठासीन अधिकारी के उस साक्ष्य के भाग को पूर्णतः दृष्टि से ओझल कर दिया है जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि पुनर्मतगणना हेतु चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उसने स्वीकार नहीं किया था, तथापि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उसने मतों की पुनर्गणना की थी। अधिकरण ने इस साक्ष्य के उस भाग की भी उपेक्षा की है, जिसमें पीठासीन अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी उसके पास थी, जिसे निर्वाचन उपरांत रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, तथा उक्त डायरी में "प्रकाश की कमी", "तनाव की स्थिति" एवं "मतगणना में अत्यधिक शीघ्रता" से संबंधित कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी।उक्त पीठासीन अधिकारी ने आगे यह भी कहा है कि मतगणना के उपरांत, अगले दिन, उसने उक्त समस्त अभिलेखों को मुंगेली में प्रस्तुत कर दिया था, और तब तक किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। यदि हम पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए इन कथनों की सत्यता का परीक्षण करें, तो एक तथ्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यद्यपि आवेदन को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, तथापि चुनाव याचिकाकर्ता के आग्रह पर पुनर्मतगणना की गई थी, तथा उक्त पुनर्मतगणना में परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पीठासीन अधिकारी का उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से उसकी दिनांक 14-03-2005 की उस प्रतिवेदन का समर्थन करता है, जिसे उसने चुनाव अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें यह भी उल्लेखित है कि जब पुनर्मतगणना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा था, तब उसने उस आवेदन को स्वीकार नहीं किया, तथापि उसने शीघ्रता में पुनर्मतगणना की, और तत्पश्चात असंतोष प्रकट होते देख, उपस्थित पक्षों को यह परामर्श दिया कि वे मुंगेली में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। रिटर्निंग अधिकारी का यह साक्ष्य निम्न तथ्यों की पुष्टि करता है कि :-

(i) मतगणना के समय कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं थी,

(ii) उत्तरदातागण की ओर से किए गए अनुरोध पर उसने पुनर्मतगणना की थी।

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी उसके पास उपलब्ध थी, तथा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iv) पीठासीन अधिकारी की उक्त उपलब्ध डायरी में उसने "प्रकाश की कमी", "तनावपूर्ण वातावरण" एवं "मतगणना कार्य को शीघ्रता में किए जाने" के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया था।

उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि अधिकरण ने पीठासीन अधिकारी के साक्ष्य का सम्यक् दृष्टिकोण से परीक्षण नहीं किया तथा इस आधार पर अनुचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि पुनर्मतगणना के लिए रखी गई नींव प्रमाणित हुई है और वस्तुतः न्याय के हित में इस प्रकरण में पुनर्मतगणना आवश्यक थी। अधिकरण ने पुनर्मतगणना की आवश्यकता एवं उसकी आधारशिला से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक साक्ष्यों की उपेक्षा की है, तथा चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा जिस आधार पर पुनर्मतगणना की मांग की गई थी, वह किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हुई है, और मैं इसी अनुसार निर्णय देता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) फलस्वरूप, दिनांक 10-03-2006 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी -1), जो कि निर्वाचन अधिकरण द्वारा पारित किया गया था, अभिखंडित किए जाने योग्य है और तदनुसार अभिखंडित किया जाता है। जहां तक दिनांक 20-03-2006 का आदेश (अनुलग्नक पी -7/आर-1(2)) का प्रश्न है, जब पुनर्मतगणना का आदेश ही निरस्त कर दिया गया है, तो उक्त दिनांक 20-03-2006 का आदेश निरर्थक हो जाता है। जैसा कि मामले *पी.के.के. शम्सुद्दीन (पूर्वोक्त)* के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है, मतों की पुनर्गणना का कोई भी आदेश उन कथनों की प्रकृति एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही ठहरता है अथवा अस्वीकृत होता है, न कि पुनर्गणना से प्राप्त परिणामों के आधार पर। यहां तक कि यदि पुनर्मतगणना से यह तथ्य उजागर हो जाए कि निर्वाचित प्रत्याशी ने सर्वाधिक मत प्राप्त नहीं किए, तब भी यदि पुनर्मतगणना का आदेश स्वयं में ही अवैध है, तो निर्वाचन परिणाम को बाधित नहीं किया जा सकता। निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा पुनर्मतगणना की शुद्धता को स्वीकार करना, अथवा पराजय स्वीकार करते हुए पुनः निर्वाचन की इच्छा व्यक्त करना, ये तत्व भी न्यायसंगत आधार नहीं हो सकते जो अधिकरण द्वारा प्रारंभ में पारित मतों की पुनर्गणना के आदेश को विधिसम्मत ठहराने हेतु पर्याप्त सामग्री माने जाएं।

(18) अतः, निष्कर्षतः अधिकरण द्वारा पारित दोनों आदेश, अर्थात् दिनांक 10-03-2006 एवं 20-03-2006 के आदेश, अभिखंडित (रद्द) किए जाते हैं। याचिका स्वीकृत की जाती है। निर्वाचन का अंतिम परिणाम ही प्रभावी रहेगा।

अधिकरण का अभिलेख त्वरित प्रभाव से वापस भेजा जाए।

पक्षकारों को व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादक प्रशांत पारख

अधिवक्ता

जिला न्यायालय जिला बालोद (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur